पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
पावरग्रिड
400/220 के०वी० जी०आई०एस०, बगडीहाट, पो०ऑ०- जौलजीबी, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) - 262544 दूरभाष : 9410797025, 9720168592
400/220 kV G.I.S. Bagrihat, P.O.- Jauljibi, Dsitt.- Pithoragarh (Uttarakhand) - 262544 Phone: 9410797025,9720168592
उत्तरी क्षेत्र-III/ Northern Region-III

पत्रांक: उक्षेपाप्र-3/जेजेबी/636 दिनांक: 26/09/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़ ।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (FP/UK/TRANS/35527/2018)

महोदय,

दिनाँक 22/08/2019 को क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर – केन्द्रीय क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून में आयोजित आर० ई० सी० बैठक में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के०वी० डबल सर्किट जौलजीबी पिथौरागढ़ पारेषण लाईन तथा जौलजीबी में 400 के०वी० डबल सर्किट धौलीगंगा बरेली पारेषण लाईन के लीलो के निर्माण हेतु 58.449 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/TRANS/35527/2018) पर चर्चा हुई ।

आर० ई० सी० द्वारा उक्त पारेषण लाईन के अधिकार पथ (35 मी० 220 के०वी० पारेषण लाईन हेतु तथा 46 मी० 400 के०वी० पारेषण लाईन हेतु) में स्थित समस्त वृक्षों की व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची तथा निर्माण कार्य के दौरान काटे जाने वाले समस्त वृक्षों की व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव को अग्रिम आर० ई० सी० में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था और वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र एवं मुख्य वन संरक्षण प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था ।

महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आर० ई० सी० मीटिंग 22/08/2019 से सम्बंधित सभी अवलोकनों को पूर्ण कर दिया गया है । कृपया ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/TRANS/35527/2018 को अपलोड करने की कृपा करें, जिससे वन भूमि का हस्तांतरण हो सके ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

(एन० एस० लसपाल)
वरि० उपमहाप्रबन्धक

संलग्नक :

1. वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र ।
2. मुख्य वन संरक्षण (वन्य जीव) प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3. संशोधित पेड़ गणना सूची ।